न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व वाद संख्या 10/2021

1. हरनाथ पुत्र श्री गंगाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोंकड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

वादी

बनाम

1. श्रवण पुत्र श्री गंगाराम
2. नन्दा पुत्र श्री गंगाराम
3. श्रीमती सरजू देवी पत्नि स्व0 श्री किशना
4. लाडा पुत्री स्व0 श्री किशना
5. नेराज पुत्री स्व0 श्री किशना
6. पांची पुत्री स्व0 श्री किशना
7. दयाल पुत्र स्व0 श्री किशना

   सर्व जाति गुर्जर सर्व निवासीगण ग्राम टोंकड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
8. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा हरमाड़ा जिला अजमेर जरिये शाखा प्रबन्धक
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रतिवादीगण

<u>निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

दिनांक: 21.08.2025

उपस्थित: श्री हनुमान प्रसाद शर्मा — वादी अभिभाषक

सीमा वैष्णव — प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 अभिभाषक

निर्णय

1. यह वाद वादी द्वारा जरिये वकील श्री हनुमान प्रसाद शर्मा के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 53 के अन्तर्गत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –वादी की ओर से वाद में दावा किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 से 7 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता सं0 69/42 ख0नं0 124 रकबा 1.8607 हैक्टेयर, ख0नं0 138 रकबा 1.3349 हैक्टेयर, ख0नं0 139 रकबा 0.3236 हैक्टेयर, ख0नं0 53 रकबा 8.5107 हैक्टेयर, ख0नं0 54 रकबा 0.4854 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 12.5153 हैक्टेयर भूमि ग्राम टोंकड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 से 7 मौके पर अपने–अपने हिस्से पर अलग–अलग काबिज है किन्तु वादग्रस्त भूमि का वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 से 7 के मध्य मौके पर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के अनुसार विधिवत् नाप चौक करके बंटवारा नहीं हो रखा है, जिसके कारण आये दिन वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 से 7 के मध्य वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। दिनांक 02.01.2021 को वादी ने प्रतिवादी सं0 1 से 7 को वाद अधीन कृषि भूमि का आपसी सहमती से बंटवारा करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सं0 1 से 7 ने सहमती से विधिवत् बंटवारा करने से इन्कार कर दिया। वाद अधीन कृषि भूमि के बाबत् आये दिन विवाद होने के कारण तथा दिनांक 02.01.2021 को प्रतिवादी सं0 1 से 7 द्वारा आपसी सहमती से विधिक रूप से बंटवारा करवाने से इन्कार करने के कारण यह वाद वाद अधीन कृषि भूमि के वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 से 7 के मध्य मौके पर मय नींव–सींव अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में वर्णित हिस्सेनुसार नाप चौप कर मौके पर काबिजानुसार बंटवारा किये जाने, राजस्व रिकार्ड में खाता, खसरा, लगान अलग–अलग कायम किये जाने तथा राजस्व नक्शें में तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अभिलिखित खातेदार किशना की दिनांक 08.07.

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

2016 को मृत्यु हो चुकी है, जिसके प्रतिवादी सं0 3 लगायत 7 वारिसान है, जिसके नामान्तकरण खुला हुआ नहीं है, परन्तु 1/4 हिस्से के खातेदार होने के कारण पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अतः वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का वादी तथा प्रतिवादीगण सं0 1 से 7 के हिस्से का मौके पर मय नींव–सींव, अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी कृषि भूमि का नाप चौप कर मौके पर काबिजानुसार बंटवारा किये जाने, अलग खाता, अलग खसरा नम्बर, अलग लगान कायम किये जाने एवं राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने की बंटवारा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित करने का निवेदन किया।

3. प्रतिवादी को वादपदो के स्थिरीकरण के लिये प्रतिवादी को सम्मन (आदेश 5 नियम 1 व 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता) के तहत् नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से वकील सीमा वैष्णव द्वारा सहमति जवाब एवं प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से वकील श्री सूरज पारीक द्वारा वकालतनामा एवं सहमति जवाब पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 9 के द्वारा राजस्व रिकार्ड के अनुसार बंटवारा करने में अनापत्ति बाबत जवाब पेश किया गया।

4. वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तथा प्रतिवादीगण द्वारा सहमति जवाब पेश करने के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं किये गये। वाद में वकील वादी की बहस के आधार पर दिनांक 28.05.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। दिनांक 13.08.2025 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया।

5. दिनांक 19.08.2025 को वकील वादी की मूल वाद पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि यदि वादअधीन भूमि का तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन कर दिया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, वकील वादी की बहस के आधार पर वादअधीन भूमि ग्राम टोंकडा स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 69/42 ख0नं0 124 रकबा 1.8607 हैक्टेयर, ख0नं0 138 रकबा 1.3349 हैक्टेयर, ख0नं0 139 रकबा 0.3236 हैक्टेयर, ख0नं0 53 रकबा 8.5107 हैक्टेयर, ख0नं0 54 रकबा 0.4854 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 12.5153 का अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी बाई (मीट्स एण्ड बाउण्डस) के आधार पर बंटवारा किया जाता है। उक्त बंटवारे में तहसीलदार किशनगढ द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तथा संलग्न नक्शा अंतिम आदेश का एक भाग होगें।

क्र.सं	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हैक्टैयर में	किस्म	रंग
1.	हरनाथ पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर सा. देह खातेदार हिस्सा पूर्ण	53/1	2.1276	बंजर01 0.1355 है. बारानी01 1.1225 है. बारानी03–0.8696 है	लाल
		54/1	0.1214	बंजर01 0.1214 हैक्टे.	
		124/1	0.4652	बारानी02–0.4652 हैक्टै.	
		138/1	0.3338	बंजर01 0.0769 हैक्टे. बारानी03–0.2569 हैक्टे.	
		139/1	0.0809	बंजर01 –0.0809 हैक्टै.	
	कुल किता 05			कुल रकबा 3.1289 हैक्टैयर	
2.	श्रवण पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर सा. देह खातेदार हिस्सा पूर्ण	53/2	2.1277	बंजर01 0.1355 है. बारानी01 1.1225 है. बारानी03–0.8697 है	हरा
		54/2	0.1213	बंजर01 0.1213 हैक्टे.	
		124/2	0.4652	बारानी02–0.4652 हैक्टै.	
		138/2	0.3337	बंजर01 0.0769 हैक्टे. बारानी03–0.2569 हैक्टे.	
		139/2	0.0809	बंजर01 –0.0809 हैक्टै.	

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

कुल किता 05					
3.	सरजू देवी पत्नी स्व. किशना हिस्सा 1/5, लाडा पुत्री स्व. किशना हिस्सा 1/5, नेराज पुत्री स्व. किशना हिस्सा 1/5, पांची पुत्री स्व. किशना हिस्सा 1/5, दयाल पुत्र स्व. किशना हिस्सा 1/5,	53/3	2.1277	बंजर01 0.1355 है. बारानी01 1.1225 है. बारानी03–0.8697 है	गुलाबी
		54/3	0.1213	बंजर01 0.1213 हैक्टे.	
		124/3	0.4652	बारानी02–0.4652 हैक्टै.	
		138/3	0.3337	बंजर01 0.0769 हैक्टे. बारानी03–0.2569 हैक्टे.	
		139/3	0.0809	बंजर01 –0.0809 हैक्टै.	
कुल किता 05				कुल रकबा 3.1288 हैक्टैयर	
4.	नन्दा पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर सा. देह खातेदार हिस्सा पूर्ण	53/4	2.1277	बंजर01 0.1355 है. बारानी01 1.1225 है. बारानी03–0.8697 है	भूरा
		54/4	0.1213	बंजर01 0.1213 हैक्टे.	
		124/4	0.4652	बारानी02–0.4652 हैक्टै.	
		138/4	0.3337	बंजर01 0.0769 हैक्टे. बारानी03–0.2569 हैक्टे.	
		139/4	0.0809	बंजर01 –0.0809 हैक्टै.	
कुल किता 05				कुल रकबा 3.1288 हैक्टैयर	

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़